तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.07.2023	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों व कानून के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट विवादित आराजी खसरा नम्बरान कुल किता 5 रकवा 2.37 है0 वाके ग्राम मौरदा तहसील वैर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं विवादित आराजी के चारो तरफ डोलमेढ डली हुयी है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु रैस्पो0 अपीलाण्ट की आराजी की डोल मेढ को तोडकर जबरन अवैध कब्जा करना चाहते हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि हमने अपीलाण्ट की आराजी में कोई दखल नहीं दिया है। रैस्पो0 अपनी खातेदारी की आराजी में ही निवास के लिये निर्माण कार्य किया है। उक्त तथ्य मौका जॉच रिपोर्ट, पटवारी हल्का से स्पष्ट है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस से यह तथ्य उभर कर आता है कि पक्षकारान के मध्य डौल मेढ का विवाद है, जो विवादित आराजी की पैमाईश से ही हल हो सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह तहसीलदार से उनके अधीनस्थ स्टाफ की टीम बनाते हुये, उभयपक्ष की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य डौल मेढ के विवाद को सुलझावें, तब तक रैस्पो0, अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी में कोई निर्माण कार्य नहीं करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.08.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मुनिदेव यादव) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	